न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 18 / 2020 अपील / प्रतापगढ़ (GSMS 2020/00018)
पंजीयन दिनांक– 05.02.2020
निर्णय दिनांक– 18.09.2020

श्री मंदिर महावेद जी उल्टी गंगा गावं झंडोली–करसेलिया, तहसील धरियावद जरिये पुजारी चौखा पिता कालिया जी मीणा निवासी झंडोली मजरा गमेती फला तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

मंदिर के कार्यकर्तागण

1. श्री भीमजी पिता नवला जी मीणा, निवासी झंडोली मजरा गमेती फला तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्री कालिया पिता भेरा मीणा, निवासी झंडोली मजरा भगता फला तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. श्री कचरिया पिता पुंजीया मीणा, निवासी झंडोली मजरा भगता फला तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
4. श्री पुनिया पिता आलीया मीणा, निवासी झंडोली मजरा भगता फला तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
5. श्री बाबरू पिता धुलिया मीणा, निवासी झंडोली मजरा देलात फला तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
6. श्री शंकर पिता केशिया मीणा, निवासी झंडोली मजरा देलात फला तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
7. श्री भीमा पिता रोडा मीणा, निवासी झंडोली मजरा कजोडी फला तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
8. श्री वक्ता पिता पदमा मीणा, निवासी झंडोली मजरा आम्बा फला तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
9. श्री खेतीया पिता केशिया मीणा, निवासी झंडोली मजरा अम्बा फला तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री रामा पिता गोतमा मीणा, निवासी करसेलिया, तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

2. श्रीमती राधा पत्नि रामा मीणा, निवासी करसेलिया, तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :

श्री अतुल जैन : अधिवक्ता अपीलान्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 02/2017
निर्णय दिनांक 20.11.2019

निर्णय

दिनांक–18.09.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 02/2017 निर्णय दिनांक 20.11.2019 के विरूद्ध दिनांक 05.02.2020 को पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मंदिर महादेवजी उल्टी गंगा गांव झंडोली करसेलिया, तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ में स्थित है। उक्त मंदिर का पुजारी अपीलांट संख्या–1 है व अपीलांट संख्या 2 से 10 मंदिर के कार्यकर्तागण है। अपीलांट मंदिर महादेवजी उल्टी गंगा एक तीर्थ स्थल है जिस पर आस पास के गांव के लोग पुजनार्थ एवं दर्शनाथ आते है। उक्त मंदिर ऐतिहासिक है। मंदिर पर प्रतिवर्ष फाल्गुन सदी 15 (पुर्णिमा), वैशाख सुदी 15 (पुर्णिमा) एवं भादवा सुदी पुर्णिमा (15) पर काफी बडे मेले लगते है। जिसमें धरियावद तहसील व तहसील के आस पास के गांव के लोक करीब 5000 से अधिक धार्मिक लोग आते हे। मंदिर के तीनों तरफ नदी है व मंदिर के आगे वादग्रस्म मौजा करसेलिया की आराजी नम्बर 263/1 रकबा 11 बीघा पर स्थित इसी आराजी पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। मंदिर नदी के बिच पहाडी पर स्थित है। रेस्पोडेंटगण ने आराजी नम्बर 263/1 में से 3 बीघा भूमि आवंटन हेतु फार्म भरा था जिस पर पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट की जबकि पटवारी हल्का को जानकारी है कि उक्त भूमि

सार्वजनिक उपयोग में मंदिर मेले के उपयोग में पिडीयों से चली आ रही है। जिसके लिए अपीलांट्स ने निगरानी 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 के तहत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 02/2017 निर्णय दिनांक 20.11.2019 से प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया की विवादित भूमि पर मेला लगता है, प्रार्थी ने इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है *"हमने विद्धान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी को आवंटित भूमि खसरा संख्या 263/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा अप्रार्थी श्री रामा पिता गौतमा मीणा एवं राधा पत्नि रामा मीणा के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन वर्ष 2004 में हुआ। प्रार्थी द्वारा आवंटन खारिज कराने का प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि पर मेला लगता है। प्रार्थी ने इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अतुल जैन उपस्थित व रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित। उपस्थित अधिवक्ता की बहस दिनांक 10.09.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि जो आवंटन हुआ है वह नियमानुसार नहीं होकर गलत तरीके से किया गया है। आवंटन पत्रावली पर फर्द अहकाम पूर्ण रूप से रिक्त है एवं रिक्त फर्द अहकाम पर उपखण्ड अधिकारी धरियावद ने हस्ताक्षर कर रखे है। आवंटन पत्रावली में खातेदार के नाम पूर्व में उपलब्ध भूमि की भी पूर्ति नहीं की गई है। तथा कमाण्ड भूमि को आवंटन करने का अधिकार उपनिवेशन विभाग की बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता। किन्तु आवंटन पत्रावली के साथ इस तरह का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है

एवं प्रिमियम राशि को भी गोला कर बढाई गई है। अपीलांट ने यह भी कथन किया है कि भूमि कमाण्ड क्षेत्र की होने का भी उल्लेख नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक कहां हुई, इस बाबत् भी उल्लेख नहीं है। उपखण्ड अधिकारी के आवंटन आदेष पर हस्ताक्षर नहीं है। आवंटन का नामान्तकरण दिनांक 14.11.2005 को तस्दीक किया गया है। तहसीलदार के नामान्तकरण प्रमाणीकरण के बाद भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच की तारीख अंकित है। नामान्तकरण का अमल दरामद जमाबंदी में वर्ष 2016 में किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRD 1983 बजरंग बनाम बद्री 1983, RRT 2010 (1) (Page No- 636 to 641) & RRT 2014 (2) (Page No- 796 to 803) का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड, अपील में पेषषुदा रेकर्ड व बहस पर मनन किया तो यह पाया कि रेस्पोडेंट विपक्षी को विवादित आराजी का आवंटन आवेदन कमाण्ड भूमि आवंटन के स्थान पर किसी अन्य शीर्षक के आवेदन के साथ पेश किया गया है परन्तु यह तकनीकी आधार है। आवेदन पर आवेदक स्वयं ने आवंटन भूमि का कमाण्ड प्रीमियम जमा कराने का कथन व स्वीकारोक्ति की है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि यह आवंटन कमाण्ड भूमि में लिए नहीं किया गया हो अथवा कमाण्ड भूमि नहीं हो। कमाण्ड भूमि हेतु ही आवेदन प्रस्तुत हुआ है तथा कमाण्ड भूमि का ही आवंटन किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति के रूप में विधायक, विकास अधिकारी व सरपंच के हस्ताक्षर है। उपखण्ड अधिकारी आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य नहीं होता इसलिए उसके हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट होता है कि भूमि का कब्जा दिनांक 03.12.2014 को दे दिया गया है तथा भूमि का पट्टा भी दिनांक 17.06.2005 को जारी कर दिया गया है। जहां तक नामान्तकरण संख्या 421 के अमल दरामद का प्रष्न है, इसमें निसन्देह तहसीलदार द्वारा आवंटन के नामान्तकरण को दिनांक 10.11.2005 को स्वीकृत किया गया है परन्तु गिरदावर की जांच की तारीख दिनांक 14.11.2005 अंकित है। यह बहुत ज्यादा महत्व का बिन्दु नहीं है कि जांच की तिथि 14.11.2005 व नामान्तकरण स्वीकृति की तिथि 10.11.2005 अंकित है। नामान्तकरण स्वीकृत दिनांक 10.11.2005

को किया गया है तथा यह स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण आवंटन आदेष के अनुरूप ही तस्दीक हुआ है। यह भी तथ्य है कि उक्त नामान्तकरण का अमल दरामद जमाबंदी सम्वत् 2070–73 में हुआ है अर्थात् अमल दरामद काफी विलम्ब से हुआ है। जमाबंदी में अमल दरामद विलम्ब से होने को अविधिक नहीं माना जा सकता। भूमि कमाण्ड की है तथा आवंटन प्रीमियम इत्यादि जमा होने के बाद ही अमल दरामद किया जाता है, तद्नुसार अमल दरामद विलम्ब से होना विधिक आवंटन को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता। आवंटन किसी **Froud** एवं **Misrepresentation** से किया गया हो, ऐसा तथ्य रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है।

अपीलांट का आवंटन निरस्तीकरण करने का प्रमुख आधार यह है कि आवंटित भूमि पर मेला लगता है, अर्थात् भूमि सार्वजनिक उपयोग की है। भूमि के सार्वजनिक उपयोग की होने बाबत् कोई तथ्य होता तो निसंदेह विधायक, सरपंच आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य ध्यान रखते तथा आवंटित भूमि पर ही मेला लगने बाबत् उसकी साक्ष्य प्रस्तुत करन का दायित्व अपीलाण्ट का था। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कहीं यह नहीं माना है कि उक्त भूमि मेले की भूमि हो तथा न ही आवंटी रेस्पोंडेण्ट द्वारा यह माना गया है कि भूमि पर मेला लगता हो। भूमि सार्वजनिक उपयोग की होने बाबत् भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2004 में किये गये आवंटन के निरस्तीकरण का आवेदन वर्ष 2017 में करीब 12 वर्षों बाद प्रस्तुत होने भी औचित्यपूर्ण नहीं है। अपीलांट द्वारा पेषषुदा न्यायिक नजीरों **RRT** 2014 पेज 797 में **Froud** एवं **Misrepresentation** से आवंटन हो जाने पर आवंटन खारिज किये जाने के प्रावधान है जो इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा पेषषुदा अन्य नजीर **RRD** 1982 भी **Froud** एवं **Misrepresentation** से संबंधित तथ्यों पर आधारित है जो इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है। अपीलाण्ट की अन्य नजीर 2010 **RRT** पेज 637 में आवंटन पहाड़ एवं नगरपालिका की भूमि का किया गया, इस कारण उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने का आदेष दिया गया है। अपीलाण्ट द्वारा अन्य तथ्य जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे लोकोपयोगी भूमि का आवंटन नहीं किये जाने से संबंधित है। इस प्रकरण में भूमि का लोकोपयोगी प्रयोजन होने के तथ्य अपीलाण्ट द्वारा प्रमाणित नहीं किये गये हैं। अतएवं विधिक रूप से

किये गये आवंटन को खारिज नहीं करने का अधीनस्थ न्यायालय का जो निर्णय लिया गया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर